

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्ता, गुडगाँव ।
2. सभी उप श्रम आयुक्ता, हरियाणा राज्य ।
3. सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य ।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत ।

क्रमांक: आईआरो-ग/6430-6579 दिनांक: 22-02-2013

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01-01-2013 से बढ़ावदाती बारे पत्र।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 27-6-2007 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2007 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। इन आंकड़ों में हुई बढ़त / घटत के आधार पर प्रत्येक छ: मास के पश्चात (जनवरी व जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त / घटत होती रहती है।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई 2012 से दिसम्बर, 2012 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत / बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है :-

जुलाई, 2012	844 (1823)
अगस्त, 2012	851 (1838)
सितम्बर, 2012	855 (1847)
अक्टूबर, 2012	860 (1858)
नवम्बर, 2012	864 (1866)
दिसम्बर, 2012	862 (1862)
ऑस्त	856 (1849)

जून, 2012 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 1743 थे। अब मास दिसम्बर 2012 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 1849 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 106 अंकों की बढ़ावदाती हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27-06-2007 जो कि प्रथम जुलाई, 2007 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 2.31 रुपए प्रतिअंक है जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों में न्यूनतम वेतनों में दिनांक 01-01-2013 से मासिक रूपए 244.86 और दैनिक रूपए 9.42 की बढ़ावदाती हुई है। अतः अब दिनांक 01-01-2013 से हरियाणा राज्य में सभी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरें पूर्व की भाँति निम्न प्रभाव से देय बनती है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	मासिक वेतन	दैनिक वेतन
1.	अकुशल	₹0 5212.15	₹0 200.46
2.	अधकुशल (ए) (बी)	₹0 5342.15 ₹0 5472.15	₹0 205.46 ₹0 210.46
3.	कुशल (ए) (बी)	₹0 5602.15 ₹0 5732.15	₹0 215.46 ₹0 220.46
4.	उच्च कुशल	₹0 5862.15	₹0 225.46

क्रमांक संख्या	कर्मचारियों का प्रवर्ग	इट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	296.98 रुपये	334.11 रुपये
2.	भराई वाला(भट्ठे में ईटों की भराई)	(क) 133.64 रुपये प्रति हजार इट भट्ठे में भरना परन्तु खेत से भट्ठे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 11.87 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खम्बा की पीढ़ पर लाइकर भरने वाले पर ही लगती हैं।	(ख) एक हजार मीटर दूरी तक 109.88 रुपये टैम्पू या पशु चलित रहड़ी या किसी अन्य यानिक चलित वाहन से ईटे भट्ठों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 11.87 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।
3.	केरीवाला	23.75 रुपये प्रति एक हजार इट	
4.	निकासी वाला	98.00 रुपये प्रति एक हजार इट	
5.	चुनाई वाला	5602.15 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री / कोलमैन / जलाई वाला	5602.15 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने—2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त नियमों
दरें को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित कर।

पृष्ठांकन क्रमांक : 6580-6629 दिनांक: १२/१२/१३

इसकी पृष्ठा—पृष्ठा प्रति निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कायावाहीं हेतु भरी जाती है।

- निजी सचिव, प्र० मंत्री को मुख्य मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
- निजी सचिव, अ० मंत्री को अम मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
- निजी सचिव वि० आ० एवं प्र० स० को वित्तायक एवं प्रयोग सचिव, हरियाणा अम विभाग के सूचनार्थ।
- निजी सचिव श्र०आ० को अम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
- इस की एक प्रति भारत सरकार श्रम तथा रेजिस्टर मन्त्रालय अम संकेत भवन, राम नाम, नई दिल्ली का सूचनार्थ।
- निदेशक सूचना लोक संघर्ष एवं सांकेतिक गतिविधियों विभाग, हरियाणा चैष्डीगढ़।
- निदेशक, विकास पर्यायत विभाग, प्लाट नं ३/२०५-हरियाणा चैष्डीगढ़।
- निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
- निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पचकुला।
- निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चैष्डीगढ़।
- निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पचकुला।
- निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चैष्डीगढ़।
- प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास विभाग, पचकुला।
- प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पचकुला।
- आयुक्त राज्य परिवहन, हरियाणा, चैष्डीगढ़।
- रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पचकुला।
- सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चैष्डीगढ़।
- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चैष्डीगढ़।
- मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पचकुला।
- मुख्य वनपाल, हरियाणा, पचकुला।
- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पचकुला।
- सचिव, हरियाणा राज्य विज्ञप्ति बोर्ड, पचकुला।
- सभी अधिकारी, (मुख्यालय)
- IT (Cell)

कृते: अम आयुक्त, हरियाणा।